शाद – 800

नकल तत्काल न० 1929

न्यायालय अस्सिटेन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी) / उपजिलाधिकारी हापुड (गाजियाबाद)

वाद सं. 56 / 2009 अन्तर्गत धारा–143ज.वि.अ.

जय माँ सावित्री एजुकेशन सोसायटी बनाम सरकार

ग्राम – रामपुर।

नकल निर्णय दि० 3/11/09

प्रस्तुत वाद में जय माँ सावित्री एजुकेशनल सोसायटी (रजि.) के. जे. 28 कवि नगर गाजियाबाद द्वारा जनरल सैकेटरी श्री राकेश सिंघल पुत्र श्री हंसराज सिंघल निवासी के जे. 28 कवि नगर गाजियाबाद जिला गाजियाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि स्थित ग्राम रामपुर परगना व तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद के खाता सं. 112 खसरा सख्या 142 रकबा 2.6670 हेक्टेअर में से रकबा 1.3335 हेक्टेअर तथा खाता सं. 224 खसरा सं. 140 रकबा 2.7580 हेक्टेअर में से रकबा 1.4485 हेक्टेअर भूमि जय माँ सावित्री एजुकेशनल सोसायटी (शिक्षण संस्थान) हेतु क्रय की गयी है जिसमें भवन निर्माण हो रहा है तथा कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। अन्त में खसरा सं. 142 रकबा 1.3335 हेक्टेअर व खसरा सं. 140 रकबा 1.4485 हेक्टेअर को धारा 143 ज. वि. अधि. के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार हापुड़ से तथा हा.पि.वि. प्राधिकरण से जॉच करायी गयी। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की कोई आख्या प्राप्त नही हुई है। तहसीलदार हापुड़ ने अपनी आख्या दिनॉक 27.01.2009 में राजस्व निरीक्षक की आख्या जिसमें उल्लिखित है कि स्थित ग्राम रामपुर परगना व तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद में खसरा सं. 142 मि. रकबा 1.3335 हेक्टेअर व खसरा सं. 140 मि. रकबा 1.4485 हेक्टेअर माल अभिलेखों में जय माँ सावित्री एजुकेशनल सोसायटी (रजि.) के. जे. 28 कवि नगर गाजियाबाद द्वारा जनरल सेकेटरी श्री राकेश सिंघल पुत्र श्री हंसराज निवासी के. जे. 28 कवि नगर गाजियाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इस भूमि में कृषि नही हो रही है। भवन निर्माणाधीन है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है, को तहसीलदार हापुड़ द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है।

शासनादेश सं. 8164 / 5–49 ए. / 03 दि. 28.01.2004 मे यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तित होने पर उप–जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा–143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रश्नगत आराजी आबादी क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा इसे गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों में कृषि दर्ज होने के कारण स्टाम्प अपवंचना हो रही है। अतः राजकीय हित मे इस गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार हापुड़ की आख्या दिनॉक 27.01.2009 में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है तथा जनरल सैकेटरी श्री राकेश सिंघल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि संस्था के नाम कहीं भी 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि नही है तथा 143 ज. वि. अधि. के

शेष: 2

JAI MAA SAVITRI INSTITUTIONAL GROUP Delhi-NCR, N.H.-24, ... Ghaziabad (U.P.)

JAI MAA SAVITRI GROUP OF INSTITUTIONS JMS

स्थापन में कोई वैधानिक बाधा नही है। ऐसी स्थिति मे मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे कोई वैधानिक बाधा नही है।

आदेश

स्थित ग्राम रामपुर परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद में भूमि खाता सं. 112 खसरा संख्या 142 रकबा 2.6670 हेक्टेअर में से रकबा 1.3335 हेक्टेअर तथा खाता सं. 224 खसरा स 140 रकबा 2.7580 हेक्टेअर में से रकबा 1.4485 हेक्टेअर को तहसीलदार हापुड की आख्या के आधार पर एवं <u>शासनादेश के कम मे स्टाम्प अपवंचना रोकने के उददेश्य से</u> धारा 143-ज.वि.अ. के अन्तर्गत जय माँ सावित्री एजुकेशनल सोसायटी रजि. (शिक्षण संस्था) के. जे. 26 कवि नगर गाजियाबाद हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। जनरल सैकेटरी श्री राकेश सिंघल द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार यदि उक्त शैक्षिक संस्था के नाम उ. प्र. में 12.5 एकड से अधिक भूमि पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः ही शून्य हो जायेगें। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार हापुड को राजस्व अभिलेखो की दुरूस्ति हेतु तथा एक प्रति उपनिबन्धक हापुड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। अतः वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह कोई भी निर्माण कार्य हा.पि.वि.प्रा. / सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही करेगें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनाँक:- 31-8-2009

(राजेश्वर सिंह)
अस्सिटेन्ट कलक्टर (प्रथम श्रेणी) / उपजिलाधिकारी
हापुड

TWO RUPEES COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY

TRUE COPY
S.D.M
HAPUR

JAI MAA SAVITRI INSTITUTIONAL GROUP Delhi-NCR, N.H. 24, 64 Kms. From Delhi Ghaziabad (U.P.)

JAI MAA SAVITRI GROUP OF INSTITUTIONS JMS